संख्या – /XXVII(1)/2005

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तरांचल

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक : २१ दिसम्बर, 2005

विषय : 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों, उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु रू0 4,62,05000/– (रूपये चार करोड़ बासठ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि तदर्थ आधार पर संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:–

(1) संकमित की जा रही धनराशि का 50 प्रतिशत अंश ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) पर व्यय किया जायेगा तथा शेष अन्य विकास कार्यो पर, इसके द्वारा ठोस कार्यक्रम जनसामान्य की भागीदारी से किया जाना उचित होगा।
(2) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संकमित की गई हैं । इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
(3) संकमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2006 तक करना होगा।
(4) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
(5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी

स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(6) इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर 31 मार्च, 2006 तक वित्त विभाग को कराये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा, तभी अगले वर्ष हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) रू0 4,50,00,000/– की धनराशि बजट प्राविधान से एवं रू0 12,05,000/– की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन – आयोजनेत्तर– 01– नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0102– 12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा एवं संलग्न बी0 एम0–15 के अनुसार वहन की जायेगी।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 1630 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल।
8. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ब्लॉक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

21/12/20

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

प्रपत्र बी0 एम0– 15

पुनर्विनियोग विवरण

(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर – 178 में है)

नियन्त्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव, वित्त

प्रशासनिक विभाग – वित्त विभाग

अनुदान संख्या – 07

(धनराशि हजार रूपये में)

| बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक | मानक मदवार अद्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष धनराशि | लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है तथा धनराशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन<br>02– पंचायती राज संस्थायें<br>01– केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजनाऐं<br>02– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान<br>20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता – 374346 | 268698 | 30,0000 | 74436 | 3604– स्थानीय निकाय<br>0–1 नगरीय स्थानीय निकाय<br>192– नगर पालिका/नगर निकाय<br>01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजना<br>0102– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान<br>20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता – 1205 | 46205 | 373141 |
| योगः– 374346 | 268698 | 30,0000 | 74436 | 1205 | 46205 | 373141 |

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर – 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

संख्या 1630A /XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

21/12/2005

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त